न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नगर (डीग)

पीठासीन अधिकारी :–विष्णु बंसल (आर.ए.एस.)

प्रार्थन पत्र संख्या :– 61/22

शकुन्तला पत्नी ताराचंद जाति जाटव निवासी करबा नगर तहसील नगर जिला भरतपुर।
————प्रार्थीया

बनाम

1. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, भरतपुर
2. अध्यक्ष नगर पालिका, नगर, भरतपुर
3. रामस्वरूप पुत्र जोरावर जाति जाटव, निवासी करबा नगर तहसील नगर जिला भरतपुर

————अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राज0काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित:–

1. श्री चरणसिंह अधिवक्ता प्रार्थीया
2. श्री अनिल गोयल अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1,2
3. श्री दिनेश चन्द गुप्ता अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 3

आदेश

दिनांक 12.01.2024

प्रार्थीया ने यह प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थीया की कब्जे काश्त खातेदारी का आ.ख.नं. 1506/0.17 वाके कस्बा नगर में स्थित है। नगर पालिका नगर की खातेदारी काश्तकारी की आ.ख.नं. 1505/0.10 वाके कस्बा नगर में स्थित है जिसमें से होकर प्रार्थीया अपनी खातेदारी की कृषि भूमि ख0 न0 1506/0.17 में जोतने बोने हेतु पहुंचता है तथा फसल को लाने ले जाने हेतु प्रार्थीया ख0 न0 1505/0.10 से होकर आना जाना होता है इसके अलावा प्रार्थीया के खेत में आने जाने का कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थी न0 1 व 2 आये दिन प्रार्थीया की खातेदारी तक आने जाने में विवाद व झगडा करते हैं, प्रार्थीया ने अप्रार्थी सं0 1 व 2 को ख. नं. 1505 में निकली सीमेन्टेड सडक से होकर 12 फुट चौडा व 12 फुट लम्बा रास्ता प्रार्थीया को देने हेतु निवेदन किया तो उन्होने दिनांक 05.08.2022 को इंकार कर दिया जिसके कारण यह विनाय मुखासमत विरुद्ध अप्रार्थीगण पैदा हुई है। ख.नं. 1505 में सीमेण्टेड सडक बनी हुई है। जिससे आगे प्रार्थीया के खेत तक 12 फुट चौडा व 12 फुट लम्बा रास्ता करा दिया जाये तो प्रार्थीया को अपनी कृषि भूमि में आने जाने को उपयोग कर सकेगी। अंत में निवेदन किया है कि ख. नं. 1505/0.10 वाके कस्बा नगर में से प्रार्थीया को 12 फुट चौडा व 12 फुट लम्बा रास्ता ख.नं. 1506/0.17 वाके कस्बा नगर में आने जाने हेतु दिलाया जावे, प्रार्थीया, अप्रार्थीगण 1 व 2 को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राशि अदा करने को तैयार है।

उपखण्ड अधिकारी
नगर (डीग) राज0

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 1 व 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि इस प्रकरण में कोई विवाद मुख्तासमत पैदा नहीं होती है। आदेश 7 नियम 11(ए) सी.पी.सी. की रोशनी में प्रार्थना–पत्र काबिले खारिजी है। प्रार्थीया क्लीन हैण्ड से न्यायालय में नहीं आई है और वास्तविक तथ्यों को अपने प्रार्थना पत्र में लोप किया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया किसी भी प्रकार राहतरसी पाने की हकदार नहीं है, प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र विधिक दृष्टि से दोषपूर्ण है, जो काबिल खारिज है। ख0 नं0 1505/0.10 वाके कस्बा नगर नगरपालिका के नाम इन्द्राज है जो कृषि भूमि नहीं है, जिसकी पुष्टि रिकार्ड से होती है। इस प्रार्थना पत्र को सुनने का अधिकार न्यायालय हाजा को नहीं है। ऐसे प्रकरणों को प्रारम्भिक स्तर पर ही समाप्त कर देना चाहिए। किसी भी आबादी के क्षेत्र मे धारा 251(ए) आर.टी.एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होते है। अंत में निवेदन किया है कि प्रार्थना –पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी सं0 3 ने जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थीया द्वारा यह प्रार्थना पत्र महज अप्रार्थीगण को नाजायज तंग व परेशान करने की नीयत से प्रस्तुत किया है जो तथ्य के बिन्दु पर ही स्वीकार योग्य नहीं है। ख0नं0 1505/0.10 वाके कस्बा नगर पर इन्द्राज नगर पालिका नगर के नाम से दर्ज है उस स्थिति में प्रथम दृष्टया यह प्रमाणित है कि ख0नं0 1505 कृषि–भूमि नहीं है। जिसकी पुष्टि रिकार्ड से होती है जो संलग्न है तब न्यायालय को उक्त प्रार्थना–पत्र को सुनने का अधिकार हासिल नहीं है। इस स्थिति में तहसीलदार नगर से रिपोर्ट मंगवाना तथा मुकदमें में तारीख पर तारीख चलाना कानूनी रुप से विधिक प्रक्रिया का उल्लंघन है, यदि प्रकरण मेन्टेनेबल नहीं हो तो उस प्रकरण को न्यायालय को प्रारम्भिक स्तर पर ही समाप्त कर देना चाहिए। आबादी के क्षेत्र में धारा 251(ए) आर.टी. एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होते है। इसलिये प्रार्थना– पत्र स्वीकार योग्य नहीं है। अंत में निवेदन किया है कि प्रार्थना –पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे तथा प्रार्थीया से अप्रार्थी को बतौर हर्जाना 25000/ रुपये दिलाया जावे।

प्रार्थीया की ओर से अपने प्रार्थना– पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी सं0 2075–78 किता. 3 नक्शा अक्स एवं वर्कआर्डर नगर पालिका नगर की फोटो प्रतियां प्रस्तुत की है। अप्रार्थी सं0 3 की ओर से अपने पक्ष में नकल जमाबंदी सं0 2067–70 वाके कस्बा नगर एवं पैमाइश रिपोर्ट पटवारी व तहसीलदार तथा जांच रिपोर्ट सतर्कता उपखण्ड अधिकारी नगर पत्रांक/पी.ए./सर्तकता/22/1134 दिनांक 01.08.2022 की फोटो प्रतियां प्रस्तुत की है।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषको की बहस सुनी तथा पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। नकल जमाबंदी सं0 2075–78 वाके कस्बा नगर के खाता सं0 1515 पर आ. ख.नं0 1506/0.17 डहरी प्रथम की बाबत शकुन्तला पत्नी ताराचंद हिस्सा पूर्ण जाति जाटव सा. कस्बा नगर खातेदार दर्ज है जो नामा. सं 5426 दिनांक 09.11.2020 जरिए बयनामा दर्ज होना साबित है। इसीप्रकार जमाबंदी सं0 2075–78 वाके कस्बा नगर के खाता सं0 460 में ख0 नं0 1505/0.10 गै.मु. आबादी की बाबत नगरपालिका नगर हिस्सा पूर्ण संस्था दर्ज होना पाया जाता है तथा नकल जमाबंदी सं0 2067–70 के खाता सं0 1037 पर ख0 नं0 1505/0. 10 की बावत "रामस्वरुप 3/4 हि0 डालचंद 1/4 हि0 पि. जोरावर जाति चमार नि. देह खातेदार इ.नं. 3043 हकत्याग" दर्ज है तथा कॉलम नं0 11 में नामा. सं. 4315 नि.दि. 16.04.

2015 रुपान्तरकरण ख. न. 1505/0.10 गै. मु. आबादी नगर पालिका नगर के नाम स्वीकार का नोट अंकित है।

इस प्रकार उक्त विवेचन अनुसार आ.ख.नं. 1505/0.10 वाके करवा नगर अप्रार्थी सं0 3 की खातेदारी की भूमि है जिसका 16 अप्रैल 2015 को रुपान्तरण होने के बाद गै.मु. आबादी नगर पालिका नगर के नाम दर्ज होना साबित होता है, जबकि ख.नं. 1506/0.17 वाके करवा नगर की किस्म डहरी प्रथम है जो प्रार्थीया की खातेदारी में बयनामा नामा. सं. 5426 दिनांक 09.11.2020 से दर्ज होना साबित होता है। प्रार्थीया द्वारा ख. नं. 1506/0.17 को वर्ष 2020 में क्रय किया गया है, जबकि ख. नं. 1505/0.10 अप्रार्थी सं. 3 की खातेदारी में दर्ज होना तथा वर्ष 2015 से गै. मु. आबादी में उपयोग किया जाना रिकार्ड से बखूबी साबित है जिसे अपने प्रार्थना पत्र में स्वंय प्रार्थीया द्वारा भी स्वीकार किया गया है। जब प्रार्थीया द्वारा ख.नं. 1506/0.17 को क्रय करने के पांच वर्ष पहले से ही ख.नं. 1505/0.10 का उपयोग गै.मु. आबादी में किया जा रहा है तो प्रार्थीया का यह कथन कि उसके द्वारा ख.नं. 1506 को जोतने–बोने हेतु आना–जाना ख.नं. 1505 में से होकर किया जा रहा है, असत्य एवं तथ्यों से परे है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 251(ए) मे प्रावधान है कि– "अन्य खातेदार की जोत मे से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या अन्य मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना–(1) जहॉ

(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिचांई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत मे से होकर भुमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता है या

(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियो का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतो तक पहुॅचने के लिए अन्य खातेदार की जोत मे से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौडा करना चाहता है।

इस प्रकार उक्त विवेचन अनुसार हस्तगत प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीया द्वारा खसरा नं. 1505/0.10 गैरमुमकिन आबादी की भुमि मे से नया रास्ता कायम करने हेतु प्रस्तुत किया है जबकि धारा 251(ए) आर.टी.एक्ट के प्रावधान मात्र राजस्व भूमि पर ही लागू होते है जबकि इस प्रकरण के तथ्यो को देखते हुए 251(ए) आर.टी.एक्ट के प्रावधान इस प्रकरण मे लागू नही होते है। ऐसी स्थिति मे विधिक बिन्दुओं के दृष्टिगत प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र 251(ए) आर.टी. एक्ट स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अतः आदेश है कि––

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जाता है। आदेश आज दिनांक 12.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले–न्यायालय में सुनाया गया।

(विष्णु बंसल)
उपखण्ड अधिकारी
(डीग)

उपखण्ड अधिकारी
नगर (डीग) राज०